NEXT IAS

# दैनिक संपादकीय विश्लेषण

## विषय

## FCRA: संस्थागत विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता अनिवार्य

www.nextias.com

# FCRA: संस्थागत विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता अनिवार्य

## संदर्भ

- प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचारार्थ भेजे जाने के बाद नागरिक समाज संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

## विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के बारे में

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 ने वर्ष 1976 के पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान लिया। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान एवं विदेशी आतिथ्य की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करना है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि विदेशी वित्तपोषण राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित और संप्रभुता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे।
  - विदेशी निधियों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परोपकार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में वैध गतिविधियों को सुगम बनाना।

## विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की प्रमुख विशेषताएँ

- **पंजीकरण एवं पूर्व अनुमति:** विदेशी अंशदान प्राप्त करने से पहले संगठनों के लिए FCRA के अंतर्गत पंजीकरण कराना अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- **वैधता:** पंजीकरण सामान्यतः पाँच वर्षों के लिए वैध होता है तथा इसके लिए समय-समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
- **उपयोग:** विदेशी अंशदान का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिनके लिए उसे प्राप्त किया गया है।
- **बैंकिंग व्यवस्था:** विदेशी अंशदान भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य शाखा में निर्धारित FCRA खाते के माध्यम से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- **वार्षिक विवरणी:** संगठनों को लेखा-पुस्तकें संधारित करनी होती हैं तथा प्राप्तियों और व्यय के विवरण सहित वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करनी होती हैं।
- **प्रतिबंध:** अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक दलों, विधायकों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विदेशी अंशदान स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है।

## पूर्ववर्ती संशोधन: प्रमुख बिंदु

- **2016 और 2018:** विदेशी स्रोत की परिभाषा में किए गए संशोधनों के माध्यम से भारत में सहायक कंपनियाँ रखने वाली विदेश में निगमित कंपनियों से प्राप्त अंशदान के संबंध में कुछ राजनीतिक दलों को पूर्वव्यापी राहत प्रदान की गई।
- **2020:** इस वर्ष किए गए व्यापक संशोधनों के अंतर्गत विदेशी अंशदान को अन्य व्यक्तियों अथवा संगठनों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई, प्रशासनिक व्यय की अनुमेय सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई तथा आधार-आधारित पहचान संबंधी आवश्यकताएँ लागू की गईं।

- इन संशोधनों के माध्यम से बैंकिंग संबंधी नियंत्रणों को सुदृढ़ किया गया तथा विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने वाले संगठनों के विनियमन और निगरानी के लिए सरकार की शक्तियों का विस्तार किया गया।

## FCRA संशोधन विधेयक, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य नियामकीय निगरानी को अधिक सुदृढ़ करना है, विशेष रूप से उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में, जिनका निर्माण या अधिग्रहण विदेशी अंशदान के माध्यम से किया गया है।
- इसके व्यापक उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने वाले संगठनों और उनकी परिसंपत्तियों पर सरकारी निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना।
  - जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विदेशी अंशदान के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सशक्त तंत्र विकसित करना।
  - विदेशी वित्तपोषण प्राप्त संस्थानों से संबंधित परिसंपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को विनियमित करना, विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जो उनके पंजीकरण अथवा कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं।
- इन प्रावधानों के सटीक दायरे और क्रियान्वयन की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा किया जाना आवश्यक है, ताकि कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित हो और मनमानी कार्रवाई की संभावनाओं को रोका जा सके।

## प्रमुख मुद्दे एवं चिंताएँ

- **पारदर्शिता बनाम संस्थागत स्वायत्तता:** वित्तीय जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप वैध गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और परोपकारी संस्थानों की कार्यकारी स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
- **अल्पसंख्यक अधिकार:** ईसाई संस्थानों और अन्य अल्पसंख्यक संगठनों को आशंका है कि इन प्रावधानों से उन पर अनुपातहीन नियामकीय भार पड़ सकता है। हालाँकि, पारदर्शिता को भेदभाव अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के समान नहीं माना जाना चाहिए।
- **सामाजिक विकास पर प्रभाव:** विदेशी वित्तपोषण प्राप्त संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और कल्याणकारी सेवाओं के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। अनुचित प्रतिबंधों से इन सेवाओं पर निर्भर वंचित एवं कमजोर समुदाय प्रभावित हो सकते हैं।
- **परिसंपत्तियों का स्वामित्व एवं कानूनी अनिश्चितता:** विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण से संपत्ति के अधिकार, संस्थागत निरंतरता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से जुड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- **संस्थानों के अंदर जवाबदेही:** अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वैच्छिक वित्तीय प्रकटीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
  - लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों और व्यापक व्यय संबंधी जानकारियों को सार्वजनिक करने से जनविश्वास बढ़ाया जा सकता है।
  - पर्याप्त मात्रा में दान और शुल्क प्राप्त करने वाले शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पारदर्शिता विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **सामाजिक न्याय एवं दलित ईसाई:** दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की निरंतर माँग इस आवश्यकता को रेखांकित करती है कि अल्पसंख्यक संस्थान अपने सबसे अधिक वंचित सदस्यों के अधिकारों के प्रति समान प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें।
  - इस विषय के संवैधानिक और न्यायिक पहलुओं पर निरंतर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

## भारत और विश्व: एक साझा वैश्विक प्रथा

- विदेशी वित्तपोषण का विनियमन केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने वाली संस्थाओं तथा परोपकारी संगठनों के लिए नियामकीय व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।
- हालाँकि, वैध विनियमन और अत्यधिक प्रतिबंधों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना आवश्यक है।
- मानवाधिकार रक्षकों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 1998 की घोषणा सहित अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत मानवाधिकारों की रक्षा और विकास को बढ़ावा देने में नागरिक समाज की भूमिका को मान्यता देते हैं।
- इसलिए भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अपनी संवैधानिक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

## आगे की राह: जवाबदेही के साथ संस्थागत स्वायत्तता

- **पारदर्शी विनियमन:** परिसंपत्तियों से संबंधित प्रावधानों, नियामकीय शक्तियों और उनके प्रयोग की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से पहले नोटिस, सुनवाई, तर्कसंगत आदेश और न्यायिक उपचार तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **आनुपातिक प्रवर्तन:** वास्तविक वित्तीय अनियमितताओं और केवल तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक अनुपालन संबंधी त्रुटियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए।
- **संस्थागत पारदर्शिता:** गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संगठनों और परोपकारी संस्थानों को स्वतंत्र लेखा-परीक्षा से प्रमाणित वित्तीय विवरण तथा निधियों के उपयोग संबंधी रिपोर्ट स्वेच्छा से सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **हितधारकों की भागीदारी:** संसदीय विचार-विमर्श में नागरिक समाज, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों, विधि विशेषज्ञों और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **सामाजिक न्याय:** दलित ईसाइयों सहित वंचित समुदायों के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता को निरंतर पैरवी और समावेशी कल्याणकारी पहलों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

## निष्कर्ष

- उद्देश्य जवाबदेही के साथ संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि सरकार का अनियंत्रित हस्तक्षेप अथवा संस्थानों को असीमित स्वतंत्रता प्रदान करना।
- अल्पसंख्यक अधिकार और वित्तीय पारदर्शिता एक-दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं। राज्य का दायित्व है कि वह वैध परोपकारी एवं अल्पसंख्यक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जबकि इन संस्थानों को अपने दानदाताओं, लाभार्थियों और संबंधित समुदायों के प्रति जवाबदेही प्रदर्शित करनी चाहिए।
- अंततः, संस्थागत विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार से जवाबदेही की अपेक्षा की जाए और संस्थान स्वयं भी स्वेच्छा से पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करें।

**दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न:** नागरिक समाज संगठनों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों के संदर्भ में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में प्रस्तावित संशोधनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

**स्रोत: TH**

■■■